मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-7/2013/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 28 मई, 2013

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्य प्रदेश शासन
मध्यप्रदेश ।

विषय- पोस्ट डाटाबेस की सेन्ट्रल सर्वर में स्वीकृत पदों की प्रविष्टि/संशोधन करने के संबंध में ।

संदर्भ- संचालनालय कोष एवं लेखा का पत्र क्रमांक /डेटा बेस/पो.मा./2013/11 दिनांक 18-01-2013.

—••—

विषयान्तर्गत शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन देयक संचालनालय कोष एवं लेखा के साफ्टवेयर 'केन्द्रीयकृत वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली'' का उपयोग कर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बनाये जाते हैं । इस हेतु पोस्ट डेटा बेस का उपयोग किया जाता है, जिसमें विभाग के अंतर्गत विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से सम्बद्ध पदों के अन्य विवरण के साथ-साथ स्वीकृत पदों की संख्या दर्ज रहती है । स्वीकृत पदों की संख्या डेटा बेस निर्माण के समय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सत्यापित की गई जानकारी के आधार पर भरी गई थी, जिसमें समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन, संबंधित विभागों द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुरूप संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा किये जाते है ।

पोस्ट डेटा बेस के विश्लेषण से यह पाया गया है कि कई आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अंतर्गत दर्ज स्वीकृत पद संख्या एवं वास्तविक स्वीकृत पद संख्या में अन्तर है । उक्त विसंगति को दूर करने के उद्देश्य से संचालनालय कोष एवं लेखा के संदर्भित पत्र द्वारा विभागाध्यक्षों से वास्तविक स्वीकृत पदों की जानकारी तथा उनका आहरण संवितरण अधिकारीवार विवरण चाहा गया है ।

विभागों द्वारा जब भी पदों का युक्तियुक्तकरण, पदों में वृद्धि अथवा कमी की जाती है तो उसकी प्रति सामान्यतः संचालनालय कोष एवं लेखा को उपलब्ध नहीं कराई जाती है । कुछ प्रकरणों में विभागों द्वारा आदेश संचालनालय को पृष्ठांकित किया जाता है परन्तु आदेश में आहरण अधिकारियों का विवरण दर्ज नहीं होता । अतः संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा विभाग के आदेशों के अनुरूप एकजाई संशोधन करने में कठिनाई उत्पन्न होती है । फलस्वरूप उन आहरण अधिकारियों द्वारा जिनके अंतर्गत पदों में वृद्धि की गई है, विभाग का आदेश संलग्न कर, स्वीकृत पदों की संख्या में संशोधन चाहा जाता है । उक्त प्रक्रिया में ऐसे आहरण अधिकारियों के तहत आने वाले पदों में संशोधन छूट जाता है, जिनके पदों में कमी

की गई है । अतः अनुरोध है कि पदों की वास्तविक स्वीकृत संख्या की जानकारी संचालनालय कोष एवं लेखा को तत्काल उपलब्ध कराने एवं पश्चातवर्ती होने वाले परिवर्तन की जानकारी (संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के विवरण के साथ) संचालनालय कोष एवं लेखा को सीधे उपलब्ध कराने के निर्देश विभागाध्यक्षों को देने का कष्ट करें ।

भविष्य में संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा विभागाध्यक्ष कार्यालयों की सहमति के अभाव मे पूर्व में दर्ज स्वीकृत पद संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नाथ) 24.05.2013
अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रं. : एफ 11-7/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक मई, 2013

प्रतिलिपि,

1. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
2. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग